10 Rs COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

C. FRs 10/-

(26)

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर ।

प्र.क्र. --------विविध
2008

Regd 1642 - PBR/08

श्री अनिल कुमार सक्सेना - एडवोकेट
द्वारा आज दि० 22/12/08 को प्रस्तुत।

22-12-08
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर

श्रीमती रजनीदेवी पत्नी श्री अजयकुमार
जाति वैश्य आयु 41 वर्ष निवासी सदर
बाजार पोरसा तहसील पोरसा जिला मुरैना
---प्रार्थीया/अपीलान्ट

विरुद्ध

म.प्र. शासन ---प्रतिप्रार्थी/रेस्पाडेन्ट

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 32 (8) म.प्र.भू-राजस्व
संहिता 1959 एवं आदेश 9 नियम 9 आ.प्री.
।

22/12/08
ANIL KUMAR SAXENA,

माननीय महोदय,

प्रार्थीया की ओर से आवेदन निम्नलिखित प्रस्तुत है-

1- यह कि प्रार्थीया ने अधीनस्थ न्यायालय अपर-आयुक्त चम्बल संभाग मुरैना के प्र.क्र. 70/2006-07 अपील के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 16-04-08के विरुद्ध विधिवत अपील प्रस्तुत की थी ।

2- यह कि उक्त अपील माननीय न्यायालय मे दिनांक 24-9-08 को अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के लिये नियत थी । माननीय न्यायालय मे उक्त अपील प्र.क्र. 788/2008 अपील पी.बी.आर. पर विचाराधीन थी ।

3- यह कि उक्त अपील मे माननीय न्यायालय मे दिनांक 24-9-08 को तारीख पेशी नियत होने से प्रार्थीयाने अपने अभिभाषक से कहा कि

(12)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रेस्टोरेशन 1642–पीबीआर/08 **जिला–मुरैना**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
03.09.2014	प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण में आवेदक एवं आवेदक अधिवक्ता सूचना उपरांत दिनांक 22–12–2008 से लगातार अनुपस्थित हैं । प्रकरण आवेदक अधिवक्ता की उपस्थित के लिये दिनांक 03–09–2014 तक नियत होता रहा किन्तु दिनांक 22–12–08 से 03–09–14 तक न्यायहित में आवेदक अधिवक्ता की उपस्थिति का इंतजार किया जाकर न्यायहित में आवेदक को पर्याप्त समय मिलने के पश्चात् भी वे अनुपस्थित रहे । वहीं सुनवाई दिनांक 03–09–2014 को तीन बार पुकार लगवाई गई इसके पश्चात् भी कोई उपस्थित नहीं हुआ । उपरोक्त स्थिति से ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक को इस प्रकरण को चलाने में कोई रूचि नहीं है । प्रकरण अनावश्यक रूप से वर्ष 2008 से लंबित चला आ रहा है । ऐसी स्थिति में आवेदक को प्रकरण को चलाने में कोई रूचि न होने के कारण प्रकरण को इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है । अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापिस हो । प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो । **प्रशासकीय सदस्य**	